नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक
Narmada Jhabua Gramin Bank

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 09 जून, 2014 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि "राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं, 24 x 7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का आवास होगा।"

2. माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया हैं।

3. इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना हैं।

- **ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन**

4. शहरी क्षेत्र हेतु "सभी के लिये आवास" मिशन 17 जून, 2015 से प्रभावी हो गया हैं और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।

5. ऋण संबंधी सब्सिडी योजना में पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIG) द्वारा आवास के निर्माण, अधिग्रहण हेतु बैंक से लिये गये आवास ऋणों पर ऋण संबंधी सब्सिडी अवयव उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई हैं।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

- **एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होगा, वही परिवार इस मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।**
- इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किये गये आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता हैं।
- **इस मिशन के अन्तर्गत निर्मित अथवा विस्तारित सभी आवासों में अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा होना चाहिए।**
- **ईडब्ल्यूएस** : वार्षिक पारिवारिक आय 03 लाख रू. तक और आवास का आकार 30 वर्ग मीटर तक।
- **एलआईजी** : वार्षिक पारिवारिक आय 03 – 06 लाख रू. के बीच और आवास 60 वर्ग मीटर तक।
- योजना अन्तर्गत EWS/LIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए व्यक्तिगत ऋण आवेदक को आय प्रमाण के रूप में स्व–प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना :**
  आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी जो बैंक से आवास ऋण की मांग कर रहे हैं, वे 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्षो की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इनमें से जो भी कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी का निवल वर्तमान मूल्य (NPV) की 9 प्रतिशत की छूट दर पर गणना की जाएगी।

- ऋण आधारित सब्सिडी केवल 06 लाख रूपये तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध होगी और 6 लाख रू. से अधिक का ऋण गैर सब्सिडीकृत दर पर होगा। ब्याज सब्सिडी नोडल ऐजेन्सी से प्राप्ति पर लाभार्थियों के ऋण खातें में अग्रिम रूप से जमा कर दी जाएगी, इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किश्त (EMI) में कमी आएगी।
- ऋण आधारित सब्सिडी नए आवास निर्माण एवं मौजूदा आवासों में विस्तारणीय आवास के रूप में कमरों, रसोई, शौचालय आदि के अतिरिक्त निर्माण/विस्तार हेतु उपलब्ध आवास ऋणों के लिए उपलब्ध होगी। मिशन के इस मद में ऋण आधारित सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इडब्ल्यूएस एवं एलआइजी वर्ग हेतु निर्माण/विस्तारित किये जा रहे आवास का कार्पेट क्षेत्र क्रमशः 30 वर्ग मीटर एवं 60 वर्ग मीटर तक होना चाहिए। लाभार्थी स्वयं के विवेकानुसार अधिक क्षेत्र में आवास निर्माण कर सकता हैं किन्तु ब्याज सहायता ऋण राशि रू.06.00 लाख तक ही उपलब्ध होगी।
- लाभार्थी की पहचान को आधार, मतदाता पहचान पत्र, किसी अन्य विशिष्ट पहचान अथवा लाभार्थी के पेतृक जिले के राजस्व प्राधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र से जोडा जावेगा।
- योजना अन्तर्गत हाथ से मैला ढ़ोने वाले, महिलाओं (विधवाओं को वरियता दी जाएगी), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गो के व्यकियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और उभयलिंगी को वरियता दी जावेगी बशर्ते लाभार्थी EWS/LIG वर्गो से संबंधित हो।
- **आयु सीमा** : लाभार्थी की कुल पुनर्भुगतान अवधि तक अधिकतम आयु 70 वर्ष से अधिक न हो।
- **ऋण की मात्रा** (Quantum of loan): **ऋण की मात्रा की गणना इकाई की लागत, अंशराशि, आवेकद की आय, पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर की जा सकेगी तथापि ब्याज अनुदान अधिकतम राशि रू.06.00 लाख तक की ऋण सीमा पर ही उपलब्ध होगा।**
- **अंश राशि (Margin) : योजना लागत का 15 %**
- **छूट अवधि (Moratorium Period)**: छूट अवधि अधिकतम 18 माह, यदि बना बनाया मकान (Constructed House/Flat) हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है तो समीकृत किस्तें (EMI) अगलें माह से वसूली जायेंगी।
- **ऋण अदायगी** (Repayment) : ऋण अदायगी अवधि अधिकतम 30 वर्ष की हो सकती हैं। ऋण का पुर्नभुगतान समीकृत मासिक किश्तों में देय होगा, छूट अवधि का ब्याज पृथक से, जैसे ही खाता ब्याज आदि सें नामें हो, देय होगा।
- **ब्याज दर** :– ब्याज दर **BPLR** से 3.50% कम, वर्तमान में 9.50 %
- **प्रभार** : ऋण राशि रू.06.00 लाख तक कोई प्रक्रिया शुल्क देय नहीं।
- **अन्य प्रभार : टाइटल डीड क्लियरेंस रिपोर्ट/वेल्युेशन रिपोर्ट, पंजीयन प्रभार आदि हेतु वास्तविक खर्चे वसूले जाऐं।**
- **अवधि पूर्व भुगतान प्रभार** (Pre payment charges/Fore closure charges): कोई प्रभार नहीं।
- **आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेंज प्रस्तुत करना होंगे।**
- **अधिक जानकारी के लिये बैंक की शाखा में सम्पर्क करें।**

.....